भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अंतारांकित प्रश्न सं. 568

जिसका उत्तर 06.02.2025 को दिया जाना है

वाहन स्क्रैपिंग नीति

568. श्री कृपानाथ मल्लाहः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अनुपयुक्त प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए व्यवस्था बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) देश भर में पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं (आरवीएसएफ) और स्वचालित परीक्षण स्टेशनों (एटीएस) की संख्या कितनी है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) सरकार ने स्वैच्छिक वाहन बेड़ा आधुनिकीकरण कार्यक्रम (वीवीएमपी) तैयार किया है जिसमें पुराने, अनुपयुक्त प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक पारि-तंत्र बनाने के लिए प्रोत्साहन/हतोत्साहन की एक प्रणाली शामिल है। इस नीति के प्रावधानों को लागू करने के लिए, मोटर यान अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 की रूपरेखा के अंतर्गत नियमों को अधिसूचित किया गया है। निम्नलिखित अधिसूचनाएं जारी की गई हैं और मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई हैं:

(1) सा.का.नि. अधिसूचना 653 (अ), दिनांक 23.09.2021 के तहत पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा(आरवीएसएफ) की स्थापना के लिए मोटर यान (वाहन स्क्रैपिंग केंद्र का पंजीकरण और कार्य) नियमावली, 2021 का प्रावधान किया गया है। अधिसूचना 25 सितंबर, 2021 से प्रभावी हो गई है। इन नियमों को सा.का.नि. अधिसूचना 695(अ) दिनांक 13.09.2022 और सा.का.नि. अधिसूचना 212(अ) दिनांक 15.03.2024 के तहत संशोधित किया गया है।

(2) सा.का.नि. अधिसूचना 652(अ), दिनांक 23.09.2021 में स्वचालित परीक्षण स्टेशनों की मान्यता,विनियमन और नियंत्रण का प्रावधान किया गया है। अधिसूचना 25 सितंबर, 2021 से प्रभावी हो गई है। इन नियमों को सा.का.नि. अधिसूचना 797(अ) दिनांक 31.10.2022 और सा.का.नि. अधिसूचना 195(अ) दिनांक 14.03.2024 के तहत संशोधित किया गया है।

(3) सा.का.नि. अधिसूचना 714(अ), दिनांक 04.10.2021 के तहत वाहनों के पंजीकरण शुल्क, फिटनेस परीक्षण शुल्क और फिटनेस प्रमाणन शुल्क में और संशोधन करने का प्रावधान किया गया है। अधिसूचना 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी हो गई है।

(4) सा.का.नि. अधिसूचना 720(अ), दिनांक 05.10.2021 “निक्षेप प्रमाणपत्र” प्रस्तुत करने पर पंजीकृत वाहनके लिए मोटर वाहन कर में रियायत प्रदान करती है। अधिसूचना 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी हो गई है।

(5) सा.का.नि. अधिसूचना 272 (अ), दिनांक 05.04.2022 के तहत केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 175 के अनुरूप पंजीकृत किसी स्वचालित परीक्षण स्टेशन के माध्यम से ही मोटर वाहनों की अनिवार्य फिटनेस का प्रावधान किया गया है, जो निम्नानुसार है -

i. भारी माल वाहनों/भारी यात्री मोटर वाहनों के लिए 01 अप्रैल, 2023 से आगे और
ii. मध्यम माल वाहनों/मध्यम यात्री मोटर वाहनों और हल्के मोटर वाहनों(परिवहन) के लिए 01 जून, 2024 से प्रभावी।

(6) सा.का.नि. अधिसूचना 663 (अ) दिनांक 12.09.2023 में केंद्रीय मोटर यान नियमावली 1989 के नियम 175 के अनुसार पंजीकृत स्वचालित परीक्षण स्टेशन के माध्यम से परिवहन वाहनों के अनिवार्य परीक्षण की तारीख को 01 अक्टूबर 2024 तक बढ़ाने का प्रावधान है।

(7) सा.का.नि. अधिसूचना 709 (अ) दिनांक 14.11.2024 में केंद्रीय मोटर यान नियमावली 1989 के नियम 175 के अनुसार पंजीकृत स्वचालित परीक्षण स्टेशन के माध्यम से परिवहन वाहनों के अनिवार्य परीक्षण की तारीख को 01 अप्रैल 2025 तक बढ़ाने का प्रावधान है।

(8) सा.का.नि. अधिसूचना 29 (अ) दिनांक 16.01.2023 में प्रावधान है कि केंद्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और उनके विभागों, स्थानीय सरकार (नगर निगम या नगर पालिका या पंचायत), राज्य परिवहन उपक्रमों, सार्वजनिक उपक्रमों और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के साथ अन्य स्वायत्त निकायों के स्वामित्व वाले वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्र को पंद्रह वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद नवीनीकृत नहीं किया जाएगा।

(9) सा.का.नि. अधिसूचना 74 (अ) दिनांक 24.01.2025 में भारत स्टेज I (बीएस -1) और पहले के बड़े पैमाने पर उत्सर्जन मानदंडों और भारत स्टेज II (बीएस II) उत्सर्जन मानदंडों के साथ सभी मध्यम और भारी माल और यात्री मोटर यानों के लिए "जमा प्रमाणपत्र" जमा करने के एवज में पंजीकृत वाहनों पर मोटर वाहन कर में पचास प्रतिशत तक की बढ़ी हुई रियायत के लिए मसौदा नियम का प्रावधान किया गया है।

(ख) 02.02.2024 तक, देश भर में 84 पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं (आरवीएसएफ) और 97 (एटीएस) स्वचालित परीक्षण स्टेशन चालू हैं।

*****